पत्रांक–10/नि0–10 (एम0वी0आर0 पुनरीक्षण)–03/2026 5802 /

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

प्रेषक,

डॉ0 संजय कुमार,
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक,
सभी प्रमण्डलीय सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
सभी जिला अवर निबंधक,
सभी अवर निबंधक।

पटना, दिनांक– 22/09/26

विषयः – **विधि विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–7582 एवं 7583 दिनांक–15.09.2026 तथा अधिसूचना सं0– 6817 एवं 6818 दिनांक–20.08.2026 के आलोक में निबंधन अधिनियम, 1908 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में किए गए संशोधनों के अनुपालन एवं संसूचन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विधि विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–7582 एवं 7583 दिनांक–15.09.2026 तथा अधिसूचना सं0– 6817 एवं 6818 दिनांक–20.08.2026 के माध्यम से निबंधन अधिनियम, 1908 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। उक्त अधिसूचित संशोधन अधिनियम की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य निबंधन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, सुगम एवं समयानुकूल बनाना तथा स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) व निबंधन शुल्क की विसंगतियों को दूर करना है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न अधिसूचना में वर्णित संशोधनों का गहनता से अध्ययन कर लें। अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में इन संशोधित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव से कड़ाई से लागू किया जाय। आम जनता की सुविधा के लिए इस संशोधन की मुख्य बातों को कार्यालय के सूचना पट्ट (Notice Board) पर भी प्रदर्शित किया जाय।

कृपया इसे अति–आवश्यक समझा जाए।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(डॉ0 संजय कुमार)
उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10/नि0–10 (एम0वी0आर0 पुनरीक्षण)–03/2026 5802 / पटना, दिनांक– 22/09/26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक कोषांग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निबंधन महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।